दिनांक–21.05.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना के कार्यान्वयन के समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :– संलग्न पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम GAIL India Limited के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के समक्ष PPT प्रस्तुत किया गया:–

PPT प्रस्तुतीकरण के क्रम में परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की गयी एवं निम्नवत् निदेश दिया गया।

1. भवन निर्माण विभाग के आवासीय परिसर में कर्मचारियों द्वारा कनेक्शन नहीं लेने के संबंध में GAIL प्रतिनिधियों द्वारा स्थिति से अवगत कराया गया। इस पर निदेश दिया गया कि उक्त परिसर में भवन निर्माण विभाग अधीन सर्वप्रथम Officers Flat में कनेक्शन दिया जाय। कर्मचारियों के लिए PNG connection हेतु वांछित security cost money के रूप में 5,354/– रूपये मात्र की राशि की प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा करने पर भवन निर्माण विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।

(अनुपालन–भवन निर्माण विभाग)

2. प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहर लाल नेहरू पथ, पटना में भी पाईप लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। निदेश दिया गया कि इस पथ के दक्षिणी क्षेत्र के सभी सरकारी आवासों को पाईप लाईन कनेक्शन से आच्छादित किया जाय।

3. IGIMS एवं AIIMS में आच्छादित कनेक्शन के संबंध में की गयी चर्चा के क्रम में बताया गया कि IGIMS एवं AIIMS जैसे सरकारी चिकित्सा संस्थानों में security money एवं consumption पर होने वाले व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाना उचित होगा।

4. GAIL के प्रतिनिधि द्वारा CNG station एवं कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया, तदनुसार प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को जवाहर लाल नेहरू पथ पर CNG station हेतु भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही लोहिया पथचक्र से संबंधित एवं GAIL के पाईप लाईन alignment के मामले का निस्तार का resolution करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–पथ निर्माण विभाग)

5. GAIL के प्रतिनिधि द्वारा बेगूसराय एवं गया में कार्यालय हेतु 1.5 से 2.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता बतायी गयी। निदेश दिया गया कि बेगूसराय में कार्यालय एवं अन्य कार्य हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार से सम्पर्क कर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के परिसर में ही GAIL, भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई करें।

गया में भूमि चिन्हित कर जिला पदाधिकारी, गया से समन्वय स्थापित करने एवं तदनुरूप प्रस्ताव देने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन–GAIL एवं जिला पदाधिकारी, गया)

6. GAIL के प्रतिनिधि द्वारा पटना जिला अन्तर्गत CNG station हेतु 1200m भूमि की आवश्यकता बतायी गयी, जिसके आलोक में हाउॅसिग बोर्ड से सम्पर्क कर चिन्हित भूमि हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग से सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— GAIL एवं नगर विकास एवं आवास विभाग)

7. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया गया की प्रस्तावित ISBT में CNG station (अलग से या पेट्रोल पम्प के साथ) हेतु भूमि उपलब्ध कराने की संभावना की तलाश की जाय।

(अनुपालन—नगर विकास एवं आवास विभाग)

8. बैठक के क्रम में सचिव, परिवहन विभाग को बुलाया गया एवं उन्हें निदेश दिया गया कि पेट्रोल वाले ऑटो को **retrofit** कर CNG युक्त इंजन में परिवर्तित कराया जाय एवं उनके **registration** पर अनुदान की संभावना पर विचार किया जाय। बिहार सरकार द्वारा भविष्य में CNG बस के क्रय का सुझाव दिया गया ताकि प्रदूषण में कमी आ सके।

9. फुलवारीशरीफ क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता के संबंध में चर्चा पर सचिव, परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि GAIL के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा परिवहन निगम की भूमि देने पर सहमति दी जा चुकी है, परन्तु GAIL द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं करने के कारण अग्रत्तर कार्रवाई बाधित है।

(अनुपालन—GAIL)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

6/6/2019

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः— 11 न0वि0 अभि0 (को0) विविध—13/2018 718 पटना, दिनांक—7/6/19

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, परिवहन विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य प्रबंधक GAIL (India) Limited/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/6/2019

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग